फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री नारू पिता जेताजी बलाई निवासी बियाना तहसील देवगढ़ पोस्टः टीकर वाया चारभुजा रोड़ जिला राजसमन्द

— अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द जिला राजसमन्द

— प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा—अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 18/2023**

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 26.06.2023 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया । लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से जरिये पृष्ठाकंन पत्रांक क्रमांक एफ.1()सू0अ0,05/प्र.अपील/2023/200—202 दिनांक 13.03.2023 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील प्रार्थना पत्र में चाही गई वांछित सूचना की बिन्दु संख्या 1 की सूचना तहसीलदार आमेट से जरिये पत्रांक आर.टी.आई./2023/142 दिनांक 14.06.2023 अनुसार चाही गई सूचना अपीलार्थी को दिनांक 09.05.2023 को उपलब्ध करवा दी गई है। एवं बिन्दु संख्या 02 की सूचना प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग द्वारा दिनांक 14.09.2022 को प्रेषित की गई जिसके कुल 01 पृष्ठ होने से नियमानुसार 02/— रूपये प्रति पृष्ठ के हिसाब से कुल राशि 02/— रूपये कार्यालय में जमा कराने हेतु प्रार्थी अपीलार्थी को कार्यालय के पत्रांक 795 दिनांक 16.09.2022 से पत्र प्रेषित कर सूचित किया गया। अपीलार्थी आदिनांक तक कार्यालय में उपस्थित नही हुआ। जिसके अभाव में सूचना कार्यालय के रेकार्ड में उपलब्ध हैं। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित बिन्दु संख्या 1 की सूचना उपलब्ध करा दी जाने एवं बिन्दु संख्या 2 की सूचना के लिए प्रार्थी/ अपीलार्थी आदिनांक तक सूचना प्राप्त करने के लिए कार्यालय में उपस्थित नही हुआ हैं और न ही सूचना प्राप्ति हेतु निर्धारित शुल्क राशि भिजवाई हैं। जिसके अभाव में सूचना कार्यालय के रेकार्ड में उपलब्ध हैं। अतः अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा करा वांछित सूचना प्राप्त करें। उक्त प्रकरण इसी स्टेज पर निर्णित किया जाता है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द, लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आमेट को भिजवायी जावे। **पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।** लोक सूचना अपीलीय अधिकारी (जिला कलक्टर) राजसमंद	